संख्या: **14/18/103**
तिथि: **27/01/2024**
पावती समय: **04:46 PM**

तारांकित प्रश्न

विषय :- वन विभाग द्वारा गोदावरी शिल्पकला डवलपर को नो-ऑब्जेक्शन सर्टीफिकेट देने बारे
मंत्री:- श्री. कँवर पाल
प्रश्नोत्तर दिनांक स्वीकृत अवस्था में:-
प्राथमिकता, यदि कोई हो:-

प्रेषक:
श्री अभय सिंह चौटाला(46) , सदस्य

सेवा में:
सचिव
हरियाणा विधान सभा
Delhi-1

महोदय,
देता हूं जिसका उत्तर
* पर्यावरण, वन और वन्यजीव मंत्री कृपया बताएंगे कि :

क. क्या हरियाणा विधानसभा की पब्लिक अकाउंट कमेटी ने वन विभाग को गोदावरी शिल्पकला डवलपर को दिनांक 11 दिसम्बर 2006 के पत्र अनुसार किस आधार पर जो नो-ऑब्जेक्शन सर्टीफिकेट दिया था, उसकी विस्तृत जांच की है या नहीं, अगर हां तो इस बारे में वन विभाग ने या सरकार ने क्या कार्रवाई की है, विवरण सहित बताएं।

ख. कैग ने भी अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि म्युनिसिपल कारपोरेशन फरीदाबाद द्वारा यह नो आब्जेक्शन सर्टीफिकेट देकर 3.93 एकड़ जमीन की अलाटमेंट करना नियमों के विरुद्ध है। बताने का कष्ट करें कि इस मामले में सरकार ने व संबंधित विभाग ने जिन अधिकारियों ने यह एनओसी सर्टीफिकेट दिया है, उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की है, विवरण सहित बताने का कष्ट करें।

भवदीय
श्री अभय सिंह चौटाला(46)
सदस्य
27/01/2024 04:46 PM

This document is computer generated and signature is not required.

FOR OFFICE USE